



प्रकरण नं० 170/2010 प्रार्थना पत्र

प्रार्थी के जांच पंचायत, कनकेश बड़ा मुहल्ला द्वारा जारी प्रमाण पत्र की विपरीत का। व प्रार्थी के पिता का नाम ब्रह्म जाडरी होगा केवल किया है किन्तु ब्रह्म जाडरी के नाम के केवलित राजस इलाका में पतावली पर नहीं है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में भी कजरा प्रस्तुत नहीं किया है। फिर भी प्रार्थी एक विपरीत का। मापक के कर्तव्य को पूरा करने प्रमाणित होगा। प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रार्थना पत्र के केवलित तथ्यों को भी स्पष्ट है। प्रार्थी का न तो प्रथम इतिहास मायला ही होना ही दुविधा केवल प्रार्थी के पद में ही रही किन्तु प्रार्थी प्रार्थना पत्र द्वारा 212 R.F.A. के तहत किया श्री सादर प्रार्थना करने का कोशिश नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को किए जाने के संकल्प रहने के कारण प्रार्थना पत्र खानीय किया जाय जिनके संकल्प हैं।

०० कोटेशन ००

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र द्वारा 212 R.F.A. को किए जाने के संकल्प रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खानीय किया जाता है पतावली में संकल्प आता है जाकर दस्तावेज जारी किए हैं।



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा